२.

निग. 0-2575-PBR/15

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर (म.प्र.)

1. संजय जैन पुत्र श्री जिनेश कुमार जैन
   निवासी : ई–3/99, अरेरा कॉलोनी, भोपाल

2. अभय मिश्रा पुत्र श्री आर.पी.मिश्रा
   श्रीमति शारदा मिश्रा पत्नि श्री अभय मिश्रा
   निवासीगण : 8 सौम्या इन्क्लेव, चूनाभट्टी, भोपाल

3. अम्बरीश तिवारी पुत्र श्री हरिनारायण तिवारी
   नि. बंगला नं.6, दि ओएसिसि, चूनाभट्टी, भोपाल (म.प्र.)

................................पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्ध

म.प्र. शासन

.... अनावेदक

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू – राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्तागण, प्रकरण कं.28/अ–2/2014–15, 29/अ–2/2014–15, 30/अ–2/2014–15, संजय जैन, अभय मिश्रा व अमरीश तिवारी विरूद्ध मध्य प्रदेश शासन में, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजधानी परियोजना) टी.टी. नगर वृत्त, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, द्वारा दिनांक 20.03.2015 को, आदेश पारित करने के पश्चात्, उक्त प्रकरण को पुनर्विलोकन में लिये जाने की अनुमति कलेक्टर महोदय के द्वारा दिनांक 22.04.2015 को दिये जाने के आदेश से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करते हैं।

अंजय / शासन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक नि.2575—पीबीआर / 15 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11—08—15	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय में यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16—4—15 के विरूद्ध दिनांक 11—8—15 को प्रस्तुत की गई है । इस प्रकार इस न्यायालय में यह निगरानी 2 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र में विलम्ब का कारण अधिवक्ता से सलाह नहीं मिलने के कारण कि पुनर्विलोकन की अनुमति दिये जाने के आदेश को चुनौती दी जा सकती है, निर्धारित समयावधि में निगरानी प्रस्तुत नहीं की जा सकी है । आवेदकगण की ओर से दर्शाया गया उपरोक्त विलम्ब का कारण समाधानकारक नहीं है । अतः यह निगरानी प्रथमदृष्टया अवधि बाह्य होने के कारण इसी स्तर पर अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	